राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अवमानना प्रार्थना पत्र संख्या –169/2023

(अपील संख्या–2856/2023)

पिंकी बुड़ानिया –प्रार्थी–अपीलार्थी

बनाम

1. श्री शीशराम कुलहटी, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा, सीकर।
2. श्री हंसराज पिपलीवाल, प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, दांतला, दातारामगढ, जिला सीकर।

–अप्रार्थीगण–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.10.2023
आदेश की दिनांक : 29.01.2024

<u>उपस्थित :–</u>
प्रार्थी–अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री सुरेश अग्रवाल, प्रभारी अधिकारी

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी पिंकी बुड़ानिया की ओर से प्रस्तुत अपील में इस अधिकरण द्वारा यह आदेश पारित किया गया था कि अपीलार्थी को अविलम्ब नव पदस्थापित स्थान के कार्यमुक्त किया जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को दिनांक 16.10.2023 को कार्यमुक्त किया गया है, जिस पर अपीलार्थी ने दिनांक 17.10.2023 को नव पदस्थापन स्थान पर अपनी उपस्थिति दे दी थी, परन्तु अपीलार्थी को नव पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण नहीं कराया गया था, जिस पर अपीलार्थी ने यह अवमानना याचिका प्रस्तुत की है। वर्तमान में अपीलार्थी को नवीन पदस्थापन स्थान पर कार्य ग्रहण करा दिया गया है, परन्तु अपीलार्थी को कार्य ग्रहण विलम्ब से कराया गया है, जो दिनांक 05.12.2023 को कराया गया है। अतः अपीलार्थी को इस दौरान वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। चूंकि इस अधिकरण के आदेश की पालना वर्तमान में की जा चुकी है। ऐसे में अवमानना याचिका में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप की जाती है। साथ ही प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी के बकाया वेतन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाए।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)